

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2011-12 डिल्ली

संख्या-3

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है चन्द्रकाश अश्लोड 2 वर्तमान धारित पद मुंजि कर्म लेखापाल

3. वर्तमान वेतन ₹ 21050/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख फरवरी 12


दि. 31.10.11 के पक्षों पर

उस जिले, उपखण्ड, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, पिरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई को उसका नाम तथा ब्योरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भू.					
1	2	3	4	5	6	7	8
1) ग्राम लोहरी	अपहर के	—	—	स्वयं	जिला की कर्मचारी से पट्टे से	—	—
2) —	—	हथि कछि 1. 30 ई० (6 बीघा 19 कान्हे)	—	स्वयं	—	—	—
3) ग्राम काठियाडाण्ड	अपहर	33x50 = 1650 वर्ग फीट	3.00 लाख	स्वयं	इस जिले (दि. 20.10.03) के से	—	—
4) ग्राम लुधराडाण्ड	—	30x40 = 1200 वर्ग फीट	2.00 लाख	—	— 16.2.06	—	—
5) ग्राम झलीवेड (काठियाडाण्ड)	—	30x54 (3.3.08)	2.00 लाख	—	₹ 5000/- जिला द्वारा कुल 1000 रु के अर्जित अथवा पिरासत हो जाने से जमा रकम की	—	—

जैसे ही कार्य नही

- जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अल्पकालिन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 15(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे पिरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उराके द्वारा धारित समस्त अथवा सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर 
 नाम चन्द्रकाश अश्लोड
 पद मुंजि कर्म लेखापाल